

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 218 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 11 / 04 / 2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला—भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

### /// विरुद्ध ///

01. भूरा जाटव पुत्र केशव सिंह जाटव उम्र 27 वर्ष  
निवासी :- ग्राम धनसुला, थाना—अम्बाह, जिला—मुरैना, म.प्र.

..... अभियुक्त

### /// निर्णय ///

( आज दिनांक : 06 / 01 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी भूरा जाटव पर धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 27 / 02 / 2014 को शाम लगभग 08:50 बजे काम्पटन फैक्ट्री के सामने मालनपुर रिठौरा रोड़ सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 27 / 02 / 2014 को थाना मालनपुर के सहायक उप निरीक्षक श्रीनिवास यादव रोजनामचा सान्हा क्रमांक 886 में प्रविष्टि कर आरक्षक क्रमांक 526 नरेन्द्र भार्गव के साथ मालनपुर फैक्ट्री एरिया में रात्रि गश्त हेतु रवाना हुआ था, फैक्ट्री एरिया में गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति कट्टा लिए काम्पटन फैक्ट्री के सामने रिठौरा मालनपुर रोड़ पर अपराध घटित करने की नियत से संदिग्ध हालत में खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर से आरक्षक सहित मौके पर पहुँचा तो वह व्यक्ति भागने लगा, जिसे घेरकर पकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम भूरा जाटव पुत्र केशव जाटव, निवासी : ग्राम धनसुला, थाना—अम्बाह, जिला—मुरैना, हाल—मालनपुर का होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी कमर में बाईं तरफ पेंट में 315 बोर का कट्टा लगा मिला। उक्त कट्टा को खोलकर देखने पर उसकी बैरल में एक 315 बोर का कारतूस लगा मिला। आरोपी से उक्त आयुध के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो ना होना व्यक्त किया। आरोपी का कृत्य धारा 25 / 27 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से साक्षीगण के समक्ष आरोपी से मौके पर

315 बोर का कट्टा एवं कारतूस विधिवत् जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय आरोपी एवं जब्तशुदा माल के थाने वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी विनोद शर्मा एवं नरेन्द्र भार्गव के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त भूरा जाटव के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं दोषमुक्त किया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी भूरा जाटव ने दिनांक :- 27/02/2014 को शाम लगभग 08:50 बजे क्राम्पटन फैक्ट्री के सामने मालनपुर रिठौरा रोड़ सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष ?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी श्रीनिवास यादव अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 27/02/2014 को थाना मालनपुर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह एवं आरक्षक नरेन्द्र भार्गव शासकीय वाहन से पेट्रोलिंग ड्यूटी हेतु फैक्ट्री एरिया घूम रहे थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति रिठौरा रोड़ पर क्राम्पटन फैक्ट्री के सामने संदिग्ध हालत में हथियार छिपाये खड़ा है। साक्षी आगे कहता है कि वह आरक्षक सहित सूचना की तश्दीक हेतु मौके पर पहुँचा, तो क्राम्पटन फैक्ट्री के सामने खड़ा लड़का पुलिस को देखकर भागने लगा,

तभी उन दोनों ने उसे पकड़ा तलाशी ली, तो आरोपी के बाईं तरफ कमर में पेंट के नीचे 315 बोर का कट्टा छिपाये हुए मिला। जब कट्टा को खोलकर देखा तो उसमें एक 315 बोर का कारतूस लगा मिला। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम भूरा पुत्र केशव जाटव, निवासी : धनसोला, जिला—मुरैना का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से उक्त आयुध एवं कारतूस के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी से साक्षीगण आरक्षक नरेन्द्र भार्गव एवं पास में ही खड़े विनोद शर्मा निवासी मालनपुर के समक्ष कट्टा एवं कारतूस को विधिवत् जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् साक्षीगण के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र. पी.04 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा मय माल आरोपी को थाना लाकर रोजनामचा सान्हा में वापसी इन्द्राज की थी, रोजनामचा सान्हा की प्रति प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी मदन दुबे एस.आई को प्रदान कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा एवं कारतूस वहीं कट्टा एवं कारतूस है, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किये गये थे। कट्टा आर्टिकल ए-01 है तथा कारतूस आर्टिकल ए-02 है।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में श्रीनिवास अ.सा.05 का कहना है कि जब वह थाने से गश्त के लिए निकला था, तब उसे यह नहीं पता था कि थाने पर एक घण्टे में कौन का अपराध पंजीबद्ध होने वाला है। साक्षी आगे कहता है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के बी से बी भाग पर जीरो ही लिखा है, 54 नहीं लिखा है। जब्ती पत्रक प्र.पी.03 का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि उसके प्रथम पृष्ठ पर अपराध क्रमांक के स्थान पर 54/14 लिखा हुआ था, जिसे काटकर 0/14 किया गया है और काटकर ठीक किये जाने के प्रयास किये जाने के बाद भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब्ती पत्रक प्र.पी. 03 पर अपराध क्रमांक 54/2014 लिखा हुआ है। नरेन्द्र भार्गव अ.सा.03 ने भी उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि उसे यह नहीं मालूम कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 में बी से बी भाग पर अपराध क्रमांक 54 को काटकर जीरो कहाँ पर किया गया है। श्रीनिवास अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.03 घटनास्थल क्राम्पटन फैक्ट्री के सामने मालनपुर में तैयार किया गया था, ऐसी दशा में जबकि श्रीनिवास अ. सा.05 को थाने पर पंजीबद्ध होने वाले अपराध क्रमांक की जानकारी ही नहीं थी, तो उसके द्वारा घटनास्थल पर ही अपराध क्रमांक कैसे अंकित किया, यह उसके द्वारा उसकी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया गया। उल्लेखनीय यह भी है कि आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54/2014 ही पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि जब्ती

पत्रक प्र.पी.03 निश्चय ही घटनास्थल पर तैयार नहीं किया गया और इस प्रकार आरोपी से आयुध जब्ती संबंधी अभियोजन साक्ष्य संदेहास्पद है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में श्रीनिवास अ.सा.05 का कहना है कि जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस आर्टिकल ए-01 एवं ए-02 को घटनास्थल पर ही सील किया गया था और आर्टिकल ए-01 पर चिपकाई गई पर्ची घटनास्थल पर ही चिपकाई गई थी। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-01 पर अपराध क्रमांक के आगे 0/14 लिखा है और उसके नीचे 54/14 लेख है, जो कि थाने पर आकर लेख किया गया है। साक्षी आगे कहता है कि 54/14 लिखने के बाद थाने पर आकर आर्टिकल ए-01 एवं ए-02 को सील किया गया था। इस प्रकार जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस को कहां पर सीलबंद किया गया था, इस वावत् जब्तीकर्ता श्रीनिवास अ.सा.05 दो तरह के विरोधाभासी कथन कर रहा है, जिससे उसके द्वारा जब्तशुदा आयुध को घटनास्थल पर सीलबंद किये जाने संबंधी उसका साक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। उल्लेखनीय यह भी है कि आयुध जांच कर्ता राजकिशोर अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा दी गई आयुध जांच रिपोर्ट प्र.पी.01 में उसने कट्टा के साथ संलग्न चिट के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया। तत्पश्चात् साक्षी का कहना है कि यदि उसमें चिट होती, तो उसका उल्लेख अवश्य होता। इससे यह प्रकट होता है कि आयुध परीक्षक को जांच हेतु भेजे जाते समय कथित रूप से जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस पर कोई चिट या पर्ची नहीं चिपकी हुई थी। लेकिन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते समय कट्टा एवं कारतूस आर्टिकल ए-01 एवं ए-02 पर पर्ची या चिट चिपकी हुई थी। ऐसी दशा में जबकि आयुध परीक्षक के समक्ष प्रेषित किये जाते समय आर्टिकल ए-01 एवं ए-02 पर कोई चिट नहीं चिपकी थी, तब न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व उन पर चिट या पर्ची कब और किसके द्वारा चिपकाई गई, इस वावत् अभियोजन साक्ष्य मौन है और यह तथ्य अभियोजन कथा को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में श्रीनिवास अ.सा.05 का कहना है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर जो खाका बना हुआ है, वह जब्तशुदा कट्टे आर्टिकल ए-01 का ही है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर जब्तशुदा कट्टे का जो खाका बना हुआ है, उसमें ट्रिगर नहीं बना हुआ है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में नरेन्द्र भार्गव अ.सा.03 ने भी आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर जो खाका बनाया गया है, वह उसी कट्टे का है, जो दरोगा जी अर्थात् श्रीनिवास यादव अ.सा.05 ने आरोपी से जब्त किया था। नरेन्द्र अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त अवश में कोई ट्रिगर नहीं बना हुआ है। जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के अवलोकन से भी यह

दर्शित होता है कि उसमें जब्तशुदा कट्टा के बने हुए खाके पर ट्रिगर नहीं बना हुआ है। जबकि आयुध परीक्षक राजकिशोर अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि उसके पास जो कट्टा जांच के लिए आया था, वह बिना ट्रिगर गार्ड के नहीं था, अर्थात् उसके द्वारा जांचशुदा कट्टे में ट्रिगर गार्ड लगा हुआ था और यदि जांचशुदा कट्टा ही आरोपी से जब्त किया गया था, तो जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर बनाये गये उसके खाके में ट्रिगर गार्ड का चिन्ह क्यों नहीं बनाया गया, यह तथ्य श्रीनिवास अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी दर्शित नहीं किया है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में श्रीनिवास अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर कॉलम नम्बर 13 में जो सील नमूना लगा हुआ है, वह उसने घटनास्थल पर नहीं लगाया है। परन्तु श्रीनिवास अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया कि उक्त सील नमूना उसने जब्ती पत्रक प्र. पी.03 पर कब और किस स्थान पर लगाया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में श्रीनिवास अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 में भी घटनास्थल पर कट्टा एवं कारतूस को सील बंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि रोजनामचा सान्हा की प्रति प्र.पी.05 में भी घटनास्थल पर कट्टा एवं कारतूस को सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरण के विवेचक उपनिरीक्षक मदन दुबे अ.सा.04 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि साक्षी आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ.सा.03 एवं विनोद शर्मा ने उनके कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में घटनास्थल पर कट्टा एवं कारतूस को सीलबंद किये जाने का कोई भी कथन नहीं दिया था। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि यदि दिया होता तो वह अवश्य लिखता। इस प्रकार सील नमूना लगाये जाने के स्थान और समय वावत् तथ्य के स्पष्टीकृत ना होने से एवं घटनास्थल पर कथित रूप से जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किये जाने के संबंध में श्रीनिवास अ.सा.05 द्वारा स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत ना करने से आरोपी से कथित रूप से जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस के मौके पर जब्त होने एवं सीलबंद किये जाने का, श्रीनिवास अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है और उसके उपरोक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा एवं कारतूस आर्टिकल ए-01 एवं ए-02 ही वहीं कट्टा एवं कारतूस है, जो आरोपी से कथित रूप से घटनास्थल पर जब्त किये गये थे।

12. अभियोजन साक्षी नरेन्द्र भार्गव अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 27/02/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह एएसआई

श्रीनिवास यादव के साथ कस्बा गस्त मालनपुर फैक्ट्री एरिया में कर रहा था। तभी जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति कट्टा लिए काम्पटन फैक्ट्री के सामने रिठौरा रोड़ पर अपराध करने की नियत से संदिग्ध हालत में खड़ा है। साक्षी आगे कहता है कि सूचना की तश्दीक हेतु वह एवं दरोगा जी मौके पर पहुँचे, तो वह व्यक्ति उन्हें देखकर भागने लगा, जिसे घेरकर पकड़ा तथा दरोगा जी ने उससे नाम एवं पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम भूरा पुत्र केशव जाटव, निवासी : धनसोला, जिला-मुर्ना का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि दरोगा जी द्वारा तलाशी लेने पर आरोपी के बाईं तरफ कमर में पेंट के नीचे 315 बोर का कट्टा मिला तथा जब कट्टा को खोलकर देखा तो उसमें एक 315 बोर का कारतूस लगा मिला। साक्षी आगे कहता है कि दरोगा जी ने आरोपी से उक्त आयुध एवं कारतूस के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसके सामने कट्टा एवं कारतूस को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। दरोगा जी मय माल आरोपी को थाना वापस लेकर आये थे।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में नरेन्द्र भार्गव अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 में जब्ती के स्थान का उल्लेख नहीं है। जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसमें जब्ती के स्थान का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार जब्ती के स्थान के संबंध में अभियोजन साक्ष्य संदेहास्पद है।

14. साक्षी राजकिशोर भदौरिया अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 04/03/2014 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 54/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जब्तशुदा एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर के जिंदा कारतूस की जाँच की गई थी। जाँच के दौरान कट्टा का एक्शन चैक किया गया, एक्शन सही पाया गया, कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। एक 315 बोर का कारतूस चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था, जिसकी पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ. लिखा था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दी गई जाँच आयुध रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राजकिशोर अ.सा.01 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रति परीक्षण उपरांत भी राजकिशोर अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। राजकिशोर अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उसे प्राप्त जांचशुदा 315 बोर का कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा

सकता था और जांचशुदा 315 बोर का जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था।

15. साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 24/03/2014 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 119, दिनांक : 04/03/2014 द्वारा थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 54/14 से संबंधित केस डायरी एवं आयुध सील बंद आरक्षक क्रमांक 259 देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन करने के पश्चात् अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी एम.सिवि. चक्रवर्ती द्वारा अभियुक्त भूरा जाटव पुत्र केशव जाटव, निवासी-धनसुला, थाना-अम्बाह, के आधिपत्य से एक कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर का अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी एम.सिवि.चक्रवर्ती के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने श्री एम.सिवि.चक्रवर्ती के अधीनस्थ के रूप में लम्बे समय तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों को पहचानता है। साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है। योगेन्द्र सिंह अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी भूरा जाटव के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन साक्ष्य अत्यंत विरोधाभासपूर्ण एवं संदेहास्पद है और अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी भूरा जाटव ने दिनांक :- 27/02/2014 को शाम लगभग 08:50 बजे काम्पटन फैक्ट्री के सामने मालनपुर रिठौरा रोड़ सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

### अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी भूरा जाटव के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी भूरा जाटव को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) से दोषमुक्त किया जाता है।

18. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

19. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा एवं जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद